


राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141-2716422

क्रमांक: प.7(1)(7)निमअ/स्टोर/भोजन/2020-21/30769
खुली बोली सूचना

जयपुर, दिनांक:- 22.12.2020

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमो के लिए भोजन व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा किये जाने हेतु इच्छुक बोलीदाताओ से दिनांक 12.01.2021 समय 1.00 बजे तक बोलिया आमंत्रित की जाती है, जिसकी अनुमानित लागत 9.50 लाख वार्षिक है। बोली से सम्बन्धित विस्तृत विवरण, बोली दस्तावेज प्रपत्र इत्यादि विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in एवं राज्य के उपापन पोर्टल <http://sppprajasthan.gov.in> पर देखे जा सकते है।


अति० निदेशक,(WE)
एवं कार्यालयाध्यक्ष
महिला अधिकारिता
सज०, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141-2716422

भोजन व्यवस्था हेतु बोली प्रपत्र

1. बोली प्रपत्र का मूल्य - 500/- रू
2. कार्य की अनुमानित लागत - 9.50 लाख रूपये
3. बोली प्रतिभूति राशि - 9500/- रू
4. बोली बेचने की अतिम तिथि :- 11.01.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे तक
5. बोली विभाग को प्रस्तुत करने की तिथि :- 12.01.2021 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
6. बोली प्रस्ताव खोलने की तिथि:- 12.01.2021 को अपरान्ह 2.00 बजे
7. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता :-

8. आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर के पते पर

9. बोली प्रपत्र शुल्क की रकम राशि रू 500/- डी.डी/बैंकर्स चैक दिनांक द्वारा विभाग में जमा करा दी गई है।

10. मैं/हम निविदा में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है तथा उक्त बोली सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

11. उक्त बोली के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 9500 (अक्षरे रूपये नो हजार पाँच सौ मात्र) का डी.डी/ बैंकर्स चैक संख्या----- दिनांक----- बैंक का नाम ----- को आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में देय है, संलग्न है।

11. हम अपनी विभिन्न मीनूवार न्यूनतम दर मय समेकित कुल योग संलग्न "अनुसूची-जी" में अंकित करते है।

12. बोलीदाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की :-

13. फर्म का शॉप एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्रीकर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र संख्या:- दिनांक:-(प्रति संलग्न करें)

14. फर्म का खाद्य विभाग/नगर परिषद/नगर निगम/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संख्या ----- दिनांक ----- (प्रति संलग्न करें)

15. फर्म के गत दो वर्षों 2018-19 एवं 2019-20 में कम से कम प्रति वर्ष 20.00 लाख रुपये के टर्न ओवर के प्रमाण में बैलेंस शीट एवं प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट तथा इनकम टैक्स रिटर्न/बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न करे।
16. भोजन व्यवस्था व कैटरिंग के अनुभव का दो वर्ष का प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करें जिसमें सरकारी/स्वायत्तशासी/प्रतिष्ठित संस्थान (सरकारी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत) संस्थान के कार्य का अनुभव हो।
17. बोली के साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों का विवरण-
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

100
100
100
100
100

100

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141-2716422

भोजन व्यवस्था हेतु बोली व संविदा की शर्तें

सामान्य शर्तें:-

1. बोलीदाता को बोली सूचना, बोली फार्म में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रथम लिफाफा तकनीकी योग्यता के संबंध में होगा तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय/दरों के उद्घरण (संलग्न जी अनुसूची) से संबंधित होगा।
2. बोलीदाता को दो अलग अलग सील बंद लिफाफों में तकनीकी बोली व दर/वित्तीय बोली लिख कर प्रस्तुत करनी होगी और लिफाफो पर तकनीकी व दर बोली स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। दोनों अलग अलग लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करने होंगे।
3. तकनीकी बोली के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
 - I. बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी/बैंकर्स चैक।
 - II. "टर्न ओवर" गत दो वर्षों में कम से कम प्रति वर्ष 20.00 लाख रुपये होना आवश्यक है। इसके प्रमाणन साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। टर्न ओवर के प्रमाण में चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न प्रफॉर्मा (संलग्नक "ब") में प्रस्तुत किया जाना होगा।
 - III. फर्म का रजिस्ट्रेशन- शॉप एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्रीकर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति
 - IV. खाद्य विभाग/नगर परिषद/नगर निगम/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र की प्रति
 - V. कार्यानुभव - इस प्रकार के किये गये कार्यों का कम से कम दो वर्ष का अनुभव/ संबंधित कार्य आदेशों की प्रति संलग्न करें। दो वर्षों में किसी राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी संस्था/प्रतिष्ठित संस्थान (सरकारी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत) उपक्रम में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।



बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित



